राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)

पीठासीन अधिकारीः– **संतोष कुमार मीना, आर.ए.एस**

प्रकरण संख्या 23 / 22 (विविध) उनवान

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार व भूमिधारी, बैजूपाडा जिला दौसा

––सायला

बनाम

सरपंच, ग्राम पंचायत निहालपुरा, पंचायत समिति बैजूपाडा जिला दौसा

––गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजास्व अधिनियम 1956

उपस्थित 1. श्री रामदयाला मीना, नायब तहसीलदार बैजूपाडा–सरकार पैरोकार

2. श्री खेमसिंह गुर्जर–वकील गैरसायल

निर्णय **दिनांक –05/01/2023**

प्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत निहालपुरा, तहसीलदार बसवा एवं श्रीमान उप जिला कलेक्टर महोदय बांदीकुई द्वारा ग्राम निहालपुरा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 1162 रकबा 31.05 हैक्टयर में से 0.25 हैक्टयर भूमि चरागाह से खारिज कर सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव वर्ष 2013 में माननीय जिला कलक्टर महोदय दौसा को भिजवाया गया जिसको श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा ने उनके आदेश क्रमांक आर 11 जीपी(17) 2013 / 3939–3944 दिनांक 27.05.2013 के द्वारा राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत ग्राम निहालपुरा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 1162 रकबा 31.05 हैक्टयर में से 0.25 हैक्टयर भूमि चरागाह से सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित (सैट अपार्ट) करने के आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश के अनुसरण में तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्रांक भू.अ. / 2013 / 2080 दिनांक 12.06.2013 के द्वारा पटवारी हल्का निहालपुरा को दिनांक 27.05.2013 के आदेशानुसार आंवटित व आरक्षित श्मशान भूमि का कब्जा तत्कालीन सरपंच निहालपुरा को सुपुर्द कर, राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में दिनांक 17.10.2014 को सरपंच निहालपुरा श्मशान हेतु आंवटित भूमि का कब्जा प्राप्त कर दिला। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा ने उनके आदेश क्रमांक आर 11 जीपी(17) 2013 / 3939–3944 दिनांक 27.05.2013 के संलग्न तरमीनशुदा नक्शा अनुसार नामान्तरण संख्या 498 ग्राम निहालपुरा भरा गया एवं नामान्तकरण की पुश्त पर राजस्व कार्मिकों द्वारा यथा आदेश नक्शे की तरमीम की गई, परन्तु ई–सेग्रीगेशन प्रक्रिया के दौरान जब ऑनलाईन तरमीम का कार्य किया गया, तो उक्त तरमीम संदर्भित स्थल से हटकर, दूसरी जगह श्मशान की तरमीम हो गई, वर्तमान में जो नवीन स्थल, जिस पर त्रुटिवश तरमीम हो गई है

वहां न तो कोई श्मशान मौजूद है एवं न ही वहां अंतिम संस्कार के लिये आम लोग सहमत है। दिनांक 13.05.2022 को सरपंच ग्राम पंचायत निहालपुरा द्वारा कार्यालय में सायल के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश कि " राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा सीट में ग्राम निहालपुरा की श्मशान भूमि खसरा नंबर 1301/1162 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म गै. मु. श्मशान घाट भूमि को यथावत स्थिति में रखा जावे। इसमें किसी भी प्रकार परिवर्तनप किया जाता है तो ग्राम पंचायत निहालपुरा को आपत्ति है। " जिसकी जांच पटवारी हल्का निहालपुरा से दिनांक 13.05.2022 को करवाई गई। दिनांक 19.05.2022 को पटवारी हल्का निहालपुरा ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जो इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 1 ग्राम निहालपुरा के अनुसार खसरा नंबर 1301/1162 रकबा 0.25 हैक्टयर किस्म गैर.मु. श्मशान दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक नक्शासीट व मौका अनुसार मिलान किया गया। मुताबिक नक्शा सीट में दर्ज खसरा नम्बर 1301/1162 मौके अनुसार मिलान नहीं खाता है। मौके पर श्मशान ग्राम निहालपुरा का आराजी खसरा नम्बर 1302/1162 रकाब 30.30 हैक्टेयर किस्म चारागाह में बने हुए है। आवंटन का प्रस्ताव भिजवाते समय भी मौके पर स्थित शमसान की जगह ही प्रस्तावित किये गये थे।

अतः श्रीमानजी के समक्ष उक्त प्रकरण अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नवीन नक्शे में श्मशान खसरा नम्बर 1301/1162 रकबा 0.25 हैक्टयर ग्राम निहालपुरा को निरस्त करके मौका स्थिति अनुसार चरागाह करने एवं वर्तमान में चरागाह खसरा नम्बर 1302/1162 रकबा 30.30 हैक्टेयर में से, प्रस्तावित स्थल 0.25 हैक्टयर को श्मसान में दर्ज रिकॉर्ड करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 14.07.2022 अधिवक्ता खेमसिंह गुर्जर न्यायालय में उपस्थित हुए। अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु कई बार अवसर प्रदान किये गये परन्तु जवाब पेश नही किया गया । इससे ऐसा प्रतित होता है कि गैरसायल जवाब पेश नही करना चाहते है। अतः उनका जवाब बंद किया जाता है।

सरकार पैरोकार व वकील गैरसायल की बहस सुनी गई। सरकार पैरोकार द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि वर्तमान में श्मसान मौके पर ग्राम निहालपुरा के आराजी खसरा नम्बर 1302/1162 रकबा 30.30 हैक्टेयर में बने हुए है आवंटन प्रस्ताव भिजवाते समय भी मौके पर स्थित श्मशान की जगह ही प्रस्तावित किये गये थे लेकिन ऑनलाईन तरमीम करते समय सहवन से तरमीम दूसरी जगह कर दी गई। अतः नवीन नक्शे में श्मशान खसरा नम्बर 1301/1162 रकबा 0.25 हैक्टयर ग्राम निहालपुरा को निरस्त करके मौका स्थिति अनुसार चरागाह करने एवं वर्तमान में चरागाह खसरा नम्बर 1302/1162 रकबा 30.30 हैक्टेयर में से, प्रस्तावित स्थल 0.25 हैक्टयर को श्मसान में दर्ज रिकॉर्ड करने के आदेश जनसामान्य का हित व राजहित निहित होने के कारण फरमाने निवेदन किया गया। वकील गैर सायल ने भी प्रकरण जनहित में होने के कारण अपनी कोई आपत्ति जाहिर नही की।

सरकार पैरोकार व वकील अप्रार्थी की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तथा अन्य के आदेश क्रामंक आर 11 जीपी(17) 2013/3939–3944 दिनांक 27.05.2013 एवं इसके साथ प्रस्तावित नक्शा ट्रेस तथा तत्कालीन पटवारी हल्का निहालपुरा द्वारा तरमीनशुदा नक्शा अनुसार नामान्तरण संख्या 498 ग्राम निहालपुर का अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा नामांन्तरण आदेशानुसार ही खोला गया है तथा नामान्तकरण की पुश्त पर राजस्व कार्मिकों द्वारा यथा आदेश नक्शे की तरमीम की गई परन्तु वर्तमान वर्तमान नक्शा ट्रेस ग्राम निहालपुरा तहसील बैजूपाडा के आराजी खसरा नम्बर 1301/1162 रकबा 0.25 हैक्टेयर की तरमीन नामान्तरण संख्या 498 दिनांक 21.05.2015 ग्राम पंचायत निहालुपरा के अनुसार नही है। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में श्मशान उसी स्थान पर बने हुए है जहॉ पर आवंटन प्रस्ताव के साथ भूमि प्रस्तावित की गई। परन्तु ऑनलाईन सेग्रीगेशन करते समय गलती से खसरा नम्बर 1301/1162 रकबा 0.25 हैक्टेयर ग्राम निहालपुरा की तरमीम दुसरी जगह हो गई है। इस प्रकार तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है जिस पर अप्रार्थी को भी अब कोई आपत्ति नही है।

अतः राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 1301/1162 रकबा 0.25 हैक्टेयर की तरमीम श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा ने उनके आदेश क्रामंक आर 11 जीपी(17) 2013/3939–3944 दिनांक 27.05.2013 के द्वारा राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत ग्राम निहालपुरा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंब्र 1162 रकबा 31.05 हैक्टयर में से 0.25 हैक्टयर भूमि चरागाह से सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित (सैट अपार्ट) करने के आदेश के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। शेष इन्द्राज नक्शा सीट यथावत रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार बैजूपाडा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 05/01/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संतोष कुमार मीना, आर०ए०एस०)
उपखंड अधिकारी
मंडावर(दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)